संख्याः 11 / 2023 /235 / सत्रह-म-2023-17-1002(099)/ 3/2023

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

दिनांक 21 मार्च 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश , 8904- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) , 20 सहायता अनुदान –सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख में से 101- अन्तर्देशीय मछली पालन , 05- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) में रू0 780.00 लाख के पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-102 / नि0शा0/ 2022-23 दिनांक 27 फरवरी 2023 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8904- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0), 20 सहायता अनुदान –सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख में से रू0 780.00 लाख की धनराशि का पुनर्विनियोग अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन , 05- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) में कराते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8904- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) , 20 सहायता अनुदान –सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख में हो रही बचत में से अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन , 05- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 780.00 लाख (रू0 सात करोड अस्सी लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(6) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(7) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाल व्यय रू0 780.00 लाख (रू0 सात करोड अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या –बजट-1- 538 दिनाँक 19.03.2023** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक – प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या- 11 /2023 / 235 (1) /सत्रह-म-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) संयुक्त निदेशक / उप निदेशक मत्स्य मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(4) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(5) सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/2 (बी0एम0-9 की दो प्रतियों में) / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / 2 / नियोजन अनुभाग-3।
(7) गार्ड फाइल।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।